8/9/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी को प्रतिवादीगणों की तामील पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है, लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी आज दिनांक तक तामील की रसीदें पेश नहीं की। अतः वादी का वाद अन्तर्गत आदेश 9 नियम 8 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, दाताशमगढ